परीक्षा आवेदन में ऑनलाइन 20 तक हो सकता है त्रुटि सुधार

उमरिया। नईदुनिया प्रतिनिधि

मंडल द्वारा संचालित सत्र 2018-19 की परीक्षाओं के परीक्षा आवेदन पत्र एवं नामांकन ऑनलाइन भरने के संबंध में पूर्व में ही कार्यालयीन निर्देश जारी किए गए थे, इसके उपरांत भी कतिपय संस्थाओं, छात्रों द्वारा परीक्षा एवं नामांकन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार हेतु आवेदन किए जा रहे है। परीक्षा परिणाम घोषणा उपरांत संशोधन प्रकरणों की संख्या न्यूनतम हो इसे दृष्टिगत रखते हुए छात्र हित में मण्डल ने यह निर्णय लिया है कि कियोस्क पर जहां से परीक्षा आवेदन पत्र भरे गए हैं उसी कियोस्क से त्रुटियों के सुधार के लिए अनुमति 20 फरवरी 2019 तक निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है, जिसमें छात्र, पिता एवं माता के नाम में स्पेलिंग त्रुटियों में सुधार, किसी भी नाम के प्रथम केरेक्टर के संशोधन की अनुमति नहीं होगी, हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2019 के परीक्षा आवेदन गत वर्ष कक्षा 9वीं के नामांकन डाटा पर आधारित है। कक्षा 9वीं में ।17 सीरीज के नामांकन डाटा में स्पेलिंग संबंधी त्रुटियों के सुधार किए जा सकेंगे।

12वीं में केवल फोटो एवं विषय संशोधन की अनुमति रहेगी

कक्षा 12वीं में केवल फोटो एवं विषय संशोधन की अनुमति रहेगी। परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय जिन छात्रों ने त्रुटिवश पूर्ण परीक्षा शुल्क की छूट त्रुटिवश गलत चयन करने वाले परीक्षार्थी भी त्रुटि सुधार करते हुए शुल्क के अंतर की राशि कियोस्क पर भुगतान कर सकेंगे। वर्ष 2018 के कक्षा 9वीं के नामांकन के डाटा में स्पेलिंग संबंधी त्रुटियों के सुधार, जन्मतिथि संशोधन, फोटो संशोधन किए जा सकेंगे। त्रुटि सुधार उपरांत संस्था प्राचार्य कियोस्क से नामीनल रोल प्राप्त कर इस आशय का प्रमाणीकरण करेंगे कि कोई त्रुटि शेष नहीं हैं।

इग्नू में प्रवेश प्रक्रिया अंतिम तिथि 11 तक

मंडला। रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मण्डला के अंतर्गत संचालित इग्नू केन्द्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। विद्यार्थी सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम डिप्लोमा, स्नातक डिग्री तथा स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में 11 फरवरी तक ऑन लाईन प्रवेश ले सकते हैं।

एसटीएससी श्रेणी के छात्र-छात्राओं को इस सत्र में बीपीपी (स्नातक उपाधि प्रारंभिक पाठ्यक्रम), बीए तथा बीकॉम में ऑन लाईन प्रवेश शुल्क जमा करके प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।

उक्त श्रेणी के छात्र-छात्राओं को प्रवेष शुल्क वापस लेने के लिए विद्यार्थी पंजीयन प्रभाग नई दिल्ली में 20 फरवरी तक अनिवार्य रूप से ऑनलाईन आवेदन जमा कराना होगा। विस्तृत जानकारी इग्नू समन्वयक डॉएमआर सिहारे से ली जा सकती है।

विदेश में उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए मिलेगी छात्रवृत्ति

उमरिया। नईदुनिया प्रतिनिधि

राज्य शासन द्वारा हर वर्ष 20 होनहार विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें विदेश में 2 वर्ष के स्नातकोत्तर और शोध पाठ्यक्रम के लिए 40 हजार डॉलर प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए कलेक्टर अमरपाल सिंह ने बताया कि इसमें छात्रवृत्ति के रूप में वार्षिक 38 हजार डॉलर के साथ 2 हजार डॉलर किताबों, आवश्यक उपकरण, टंकण, शोध प्रबंध की बाइडिंग सहित अन्य खर्चों को शामिल किया गया है। योजना शैक्षणिक सत्र 2019-20 से लागू करने का निर्णय लिया गया है। मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी प्रतिभावान स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थी, जिन्होंने 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, अब विदेश में उच्च शिक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। छात्रवृत्ति के ऑफलाइन आवेदन सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ 10 फरवरी तक आमंत्रित किए गए हैं।

इन देशों में जा सकेंगे -विदेश में उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए विद्यार्थी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, डेनमार्क, फिनलैण्ड, फ्रांस, हांगकांग, आयरलैण्ड, जापान, दक्षिण कोरिया, नीदरलैण्ड, न्यूजीलैण्ड, नार्वे, रशिया, सिंगापुर, स्विटजरलैण्ड, ताईवान, यूके तथा अमेरिका की निर्धारित शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले सकते हैं।

होने चाहिए 75 प्रतिशत से ज्यादा अंक

- विदेश अध्ययन के लिए आवेदक विद्यार्थी को यूजी, पीजी में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। छात्रवृत्ति के लिए स्नातकोत्तर विद्यार्थी की आयु 25 वर्ष तथा शोध उपाधि के लिए 35 वर्ष निर्धारित है। आवेदक के माता-पिता, अभिभावक, अभ्यर्थी की पत्नी-पति की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 5 लाख से अधिक नही होनी चाहिए। अभ्यर्थी को जीआईई, जीएमएटी, टीओएफईएल, आईईएलटीएस की अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। चयन समिति द्वारा मेरिट तथा शॉर्टलिस्ट प्रत्याशियों के साक्षात्कार के आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा।
- आवेदक विद्यार्थी ऐसे देश में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययन जारी रख सकेंगे, जिनके साथ भारत सरकार के राजनयिक संबंध हैं। योजना में उल्लेखित पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थियों को स्वयं प्रयास करने होंगे। विद्यार्थियों को उस देश का वीजा स्वयं प्राप्त करना होगा, जहां वह अध्ययन के लिए जा रहे हैं। वीजा जिस देश के लिए प्राप्त किया जायेगा, उसमें यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि आवेदक विद्यार्थी अध्ययन के उद्देश्य से वीजा प्राप्त कर रहा है। छात्रवृत्ति, छात्र वीजा (स्टूडेंट वीजा) के आधार पर ही जारी की जाएगी।